आदेशिका

दिनांक 29.10.2025

अधिवक्ता उभयपक्षकारान उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रतिवादी सं.2 से 10 उमरावसिंह वगैरह की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 17.09.2025 का निस्तारण किया जा रहा है, जिसमें प्रतिवादी उमरावसिंह ने प्रतिवादी सं.1/3 अरविंद टांक से जिरह की अनुमति प्रदान करने के संबंध में प्रार्थनापत्र पेश किया है।

प्रार्थनापत्र के समर्थन में बहस के दौरान न्यायालय के समक्ष यह तर्क पेश किये गये कि हस्तगत प्रकरण में अरविन्द टांक का शपथपत्र दिनांक 17.09.2025 को पेश किया गया, जिसके मुख्य परीक्षण शपथपत्र के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा है कि प्रतिवादी सं.1/3 अरविन्द टांक ने वादी से साज करते हुए प्रतिवादी सं.1 के जवाबदावे में प्रस्तुत तथ्यों के अतिरिक्त तथा प्रतिवादी सं.2 से 10 के विरूद्ध गलत तथ्यों पर अपना शपथपत्र पेश किया है। प्रतिवादी सं.1 के जवाबदावे के बिल्कुल विपरीत प्रतिवादी सं.1/3 अरविन्द टांक का शपथ पत्र पेश हुआ है। जहां एक ओर प्रतिवादी सं.1 के जवाब में कब्जे के संदर्भ में यह तथ्य प्रकट किये गये हैं कि वादग्रस्त संपदा पर उनका कोई कब्जा नहीं है परंतु डी.ड.1 के शपथपत्र पर मुख्य परीक्षण अभिकथनों में वादग्रस्त संपदा पर स्वयं का कब्जा दर्शाया गया है। इसी प्रकार डी.ड.1 के मुख्य परीक्षण अभिकथनों में वादग्रस्त संपदा का 1/4 का हक, कब्जा प्रतिवादी सं.1 के हक में कर दिये जाने का तथ्य प्रकट हुआ है, परंतु उक्त तथ्य प्रतिवादी सं.1 के जवाबदावा में ही पेश नहीं किया गया है। अभिवचनों के आधार पर ही गवाह का शपथपत्र पेश हो सकता है, जो तथ्य प्रतिवादी सं.1 ने अपने जवाबदावा में ही पेश नहीं किये हैं उन तथ्यों को प्रतिवादी सं.1/3 अपने शपथ–पत्र पर पेश कर रहा है, जिस कारण हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी सं.2 से 10 के हित विपरीत रूप से प्रभावित होने की स्थिति में प्रतिवादी सं.1/3 से जिरह की अनुमति प्रदान करना नितांत आवश्यक हो गया है। अपने तर्क समर्थन में निम्न न्यायिक नजीर पेश की गई–

1. एआईआर 1978 पंजाब व हरियाणा 319 साधूसिंह/संत नारायणसिंह
2. 2020(4) सि.को.के. 779 एम.पी. अखिलेशसिंह/कृष्णबहादुरसिंह व अन्य
3. 2019 सप्लीमेंट्री सि.को.के.739 एम.पी. शिवप्रतापसिंह तोमर/सीमा तोमर
4. 2013(1) सि.को.के.679 पं.ह. मोहिन्द्रसिंह गिल/जगदीपसिंह व अन्य

जिसका विरोध अधिवक्ता वादी ने यह कहकर किया है कि हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी अरविन्द टांक का शपथपत्र बतौर कायम मुकाम न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रतिवादी अरविन्द टांक, प्र.13 का गवाह है, जिस पर अरविन्द टांक के हस्ताक्षर भी हैं। प्र.13 विक्रयपत्र के अनुसरण में ही प्रतिवादी अरविन्द टांक के द्वारा मुख्य परीक्षण में शपथपत्र पेश किया गया है तथा यह आवश्यक नहीं है कि गवाह अपना मुख्य परीक्षण शपथपत्र अभिवचनों के अनुसार ही पेश करे। वर्ष 1978 का जो पारिवारिक समझौता अस्तित्व में आने की स्थिति में हस्तगत प्रकरण में जो तथ्य अरविन्द टांक के द्वारा पेश किये गये हैं, वह उसके सर्वोत्तम ज्ञान के आधार पर न्यायालय के समक्ष पेश हुए हैं। प्रार्थनापत्र अस्वीकार कर खारिज किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी सं.1/3 अरविन्द टांक की ओर से न्यायालय के समक्ष यह तर्क पेश किये गये कि प्रतिवादी सं.1/3 द्वारा सही व वास्तविक तथ्यों एवं सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर मुख्य परीक्षण में शपथपत्र पेश किया गया है, जिसमें वादी अथवा प्रकरण के किसी भी पक्षकार से किसी प्रकार का कोई साज करने का प्रश्न नहीं होता है। अरविन्द टांक ने न्यायालय के समक्ष स्वयं का स्वतंत्र व निष्पक्ष रखते हुए शपथपत्र पेश किया है। प्रतिवादी सं.1 रामगोपाल के द्वारा जवाबदावा पेश किया है, जिसमें भी प्रतिवादी सं.1/3 के पिता स्व.रामदयाल के द्वारा प्र.13 के निष्पादन को स्वीकार किया है। जिस पर प्रतिवादी सं.1/3 के हस्ताक्षर भी हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं.2 से 10 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में

उपखण्ड न्यायाधीश सं.2

दीवानी वाद संख्या 26/2008 पवन बनाम रामगोपाल

आदेशिका

यह तथ्य कि प्रतिवादी सं.1/3 के द्वारा जवाबदावा के विपरीत शपथपत्र पेश किया गया है, स्वयं ही असत्य व मिथ्या साबित हो जाता है। प्रतिवादी सं.2 से 10 के द्वारा अपने प्रार्थनापत्र में प्रतिकूल रूचि की प्ली ली है परंतु उक्त प्रतिवादीगण का प्रतिवादी सं.1/3 से किस प्रकार विपरीत रूप से हित प्रभावित हो रहा है, इसका उल्लेख न तो प्रार्थनापत्र में किया गया है न ही बहस के दौरान स्पष्ट किया गया है। प्रतिवादी सं.2 व 3 के द्वारा महज प्रतिवादी सं.1/3 से विधिविरूद्ध प्रतिपरीक्षण करने के उद्देश्य से एवं प्रकरण में अनावश्यक विलंब करित करने के उद्देश्य से यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है, जो खारिज होने योग्य है। दौराने बहस निम्न न्यायिक नजीर पेश की गई–

मीनल रोहित शाह व अन्य बनाम न्यू सागर दर्शन कोपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड, सिविल रिट पिटीशन नंबर 443/2020 माननीय बोम्बे उच्च न्यायालय 26.08.2021

बहस सुन पत्रावली का अध्ययन, संबंधित विधि का परिशीलन किया। जिसके उपरांत न्यायालय के समक्ष यह दृष्टिगत है कि हस्तगत दावा तकमील मुहायदा एवं रजिस्ट्री के निरस्तीकरण से संबंधित है। पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी के प्रक्रम पर लंबित होकर दिनांक 17.09.2025 को प्रतिवादी अरविन्द कुमार टांक के द्वारा बहैसियत प्रतिवादी सं.1 रामगोपाल के कायम मुकाम शपथपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। प्रतिवादी सं.2 से 10 की ओर से इस प्रार्थनापत्र के द्वारा यह उज्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है कि उक्त शपथपत्र में प्रतिवादी सं.2 से 10 के विधिक अधिकारों के विपरीत प्रस्तुत होने के कारण प्रतिवादी सं.2 से 10 को प्रतिवादी सं1/3 से जिरह की अनुमति धारा 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी जाये। हस्तगत प्रार्थनापत्र के निस्तारण के लिए न्यायालय को सर्वप्रथम यह तथ्य अभिनिर्धारित करना है कि क्या प्रतिवादी सं.1/3 के शपथपत्र में अंकित तथ्य प्रतिवादी सं.2 से 10 के विधिक अधिकारों को विपरीत रूप से प्रभावित कर रहे हैं अथवा नहीं जिसके संबंध में न्यायालय के द्वारा प्रतिवादी सं.1 के जवाबदावे को तुलनात्मक दृष्टि से डी.ड.1 अरविन्द कुमार टांक के शपथपत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रतिवादी सं.2 से 10 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावे व डी.ड.1 की ओर से प्रस्तुत शपथपत्र पर प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन किये जाने के उपरांत न्यायालय के समक्ष यह स्थिति उभरकर आ रही है कि प्रतिवादी सं.1/3 के द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में कुछ ऐसे तथ्य प्रकट हुए हैं, जिससे प्रतिवादी सं.2 से 10 के हित विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे हैं, जिस स्थिति में प्रतिवादी सं.2 से 10 को डी.ड.1 अरविन्द टांक से जिरह की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की न्यायिक नजीर अखिलेशसिंह/कृष्ण बहादुरसिंह व अन्य (सुप्रा). शिव प्रताप सिंह तोमर/सीमा तोमर(सुप्रा)में उद्धलित सिद्धांत कि यदि सह प्रतिवादीगण के हित विपरीत रूप से प्रभावित हो रहे है। तो उस स्थिति में एक प्रतिवादी दूसरे प्रतिवादी से जिरह का अधिकार धारा 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्राप्त रखता है। उक्त सिद्धांत के आलोक में चूंकि प्रतिवादी सं.1 के जवाबदावे, प्रतिवादी सं.2 से 10 के जवाबदावे व डी.ड.1 के शपथपत्र में प्रस्तुत तथ्यों के द्वारा प्रतिवादी सं.2 से 10 के हित विपरीत रूप से प्रभावित होने की स्थिति में धारा 138 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में प्रतिवादी सं.2 से 10 को प्रतिवादी सं.1/3 से जिरह की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक मानती हूँ। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि सर्वप्रथम प्रतिवादी सं.2 से 10, प्रतिवादी सं.1/3 से जिरह करेगे जिस जिरह के पूर्ण होने के उपरांत वादी अपनी जिरह समाप्त करेगा।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य प्रतिवादी दिनांक(30.10.2025)को पेश हो। Sd/-

03.11.25 (रेशमा खान)

अपर जिला न्यायाधीश सं.2
गंगापुर सिटी, जिला-सवाई माधोपुर (राज.)